

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. केंद्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 19/2020

केंद्रीय वस्तु और सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अलवर के आयुक्त,
जिनका कार्यालय ए-ब्लॉक, सूर्या नगर, अलवर 301001, राजस्थान राज्य में
है।

----अपीलकर्ता

बनाम

राठी स्पेशल स्टील्स लिमिटेड, जिसका कार्यालय एसपी-29, एफ-20 से 24,
औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान राज्य में है।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री संदीप पाठक, श्री अर्नव सिंह के साथ
प्रतिवादी के लिए	:	श्री आर.के. हसीजा (वीसी के माध्यम से), श्री प्रणव मलिक के साथ

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

10/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी माइल्ड स्टील स्टेनलेस स्टील बार और रॉड के निर्माण में लगा हुआ था। एक ऑडिट आपत्ति पर, अपीलकर्ता ने अप्रैल, 2010 से मार्च, 2015 की अवधि के लिए कार्यवाही शुरू की, इस आधार पर कि प्रतिवादी के पास उपभोग किए गए इनपुट के मुकाबले 93% तैयार माल का अनुपात था, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में 'सेल') ने 95% उत्पादन का एक मानदंड तय किया था। कम उत्पादन पर शुल्क का भुगतान किए बिना निकाले गए तैयार माल के रूप में मानकर शुल्क लगाया गया और जुर्माना भी लगाया गया। न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 15.04.2019 के आदेश के माध्यम से अतिरिक्त जोड़ को रद्द कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि न्यायाधिकरण ने मामले के गुण-दोष पर चर्चा नहीं की है और केवल **मैसर्स एचआर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के मामले में अपील संख्या ई/52703/2016-[डीबी]** में न्यायाधिकरण के निर्णय पर भरोसा किया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया।

5. कानून का निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तावित किया गया है:-

"1. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में

और कानून में, क्या माननीय न्यायाधिकरण

अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार करने और

21.06.2016 के ओआईओ में चर्चा किए गए भौतिक तथ्यों पर विचार किए बिना ओआईओ को रद्द करने में सही था, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के संदर्भ में है?"

6. निर्विवाद तथ्य यह हैं कि 'सेल' द्वारा तय किए गए मानदंडों की तुलना में उत्पादन प्रतिशत में भिन्नता के अलावा, शुल्क का भुगतान किए बिना निकाले गए कथित अतिरिक्त उत्पादन का विभाग के पास कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी। विभाग के अनुसार भिन्नता केवल 2% थी। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी सेल के समान नवीनतम तकनीक के नहीं थे।

7. न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:-

"7. इस प्रकार, हम पाते हैं कि मुद्दा मैसर्स एचआर स्टील्स (उपरोक्त) में तय किए गए मुद्दे के समान है। विभाग द्वारा कच्चे माल, बिजली, सामग्री की बिक्री या परिवहन के तरीके के उपयोग के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था और न ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश किया गया था कि अपीलकर्ता सेल के समान उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा था। इसलिए, विवादित मांग टिकाऊ नहीं है।"

8. ऊपर उद्धृत निष्कर्षों को वर्तमान अपील में चुनौती या विवादित नहीं किया गया है। तर्कों के दौरान, वर्तमान मामले और मैसर्स एचआर स्टील्स (उपरोक्त) के तथ्यों के बीच कोई तथ्यात्मक अंतर नहीं बताया गया है।

अतिरिक्त जोड़ केवल सेल की तुलना में प्रतिवादी के उत्पादन में 2% भिन्नता के एकमात्र आधार पर किया गया था।

9. कानून का कोई प्रश्न नहीं, और न ही कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

10. अपील खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/आरजू/83

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़